



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



9 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 107 राँची, बुधवार,

28 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-639/2014 का.-25462 (HRMS)--श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-751/03), तत्कालीन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम के विरुद्ध नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2945, दिनांक 21.05.2012 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध धनबाद नगर निगम के जमीन का अतिक्रमण हटाने में अनियमितता एवं ट्रैफिक सिग्नल के क्रय में अनियमितता के संबंध में आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10972, दिनांक 24.09.2012 द्वारा श्रीमती कुजूर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती कुजूर के पत्र, दिनांक 12.10.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुजूर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12699, दिनांक 12.11.2012 द्वारा नगर विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। नगर विकास विभाग के पत्रांक-2925, दिनांक 26.07.2013 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत पुनः विभागीय पत्रांक-4589 दिनांक-28.09.2023 क द्वारा कतिपय बिन्दु पर नगर विकास विभाग से प्रतिवेदन की माँग की गयी, परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

3. श्री कुजूर के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र एवं उक्त के संबंध में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण आदि के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-21900(HRMS), दिनांक 28.06.2023 द्वारा श्रीमती कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. विभागीय पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-153, दिनांक 13.08.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये दोनों आरोपों को प्रमाणित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 40 रैयतों की सूची जिसमें प्लॉटों की जमाबंदी रद्द की गई है, उक्त भूमि पर 40 वर्ष पूर्व से अतिक्रमण चला आ रहा है। धनबाद नगरपालिका द्वारा दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित भूमि का विवरण कुल रकबा-15 बीघा 19 कट्ठा 4 छटाक जमीन नगर निगम की है। विभाग द्वारा गठित समिति लगभग 04 दिन रही, परन्तु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी और न ही अनुशंसा की गई। समिति द्वारा नगर निगम को इसके लिए जबाबदेह बताये न कि आरोपी पदाधिकारी को। आरोपी पदाधिकारी पर विशिष्ट रूप से कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है।

अतः विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, तत्कालीन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम को आरोप मुक्त किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHAIL PRABHA KUJUR BHR/BAS/3503	श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-751/03), तत्कालीन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
